

# न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(मुशारी लाल शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

42 / 2021

18.11.2021

- 1-कैलाश पुत्र किशन लाल जाति गुर्जर निवासी पनवाड मोड तहसील देवली जिला टोंक
- 2-नरेश पुत्र किशन लाल जाति गुर्जर निवासी पनवाड मोड तहसील देवली जिला टोंक
- 3-हंसराज पुत्र किशन लाल जाति गुर्जर निवासी पनवाड मोड तहसील देवली जिला टोंक
- 4-गणेश पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी पनवाड मोड तहसील देवली जिला टोंक

बनाम

—अपीलान्ट

नायब तहसीलदार देवली जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार देवली  
दिनांक 03.11.2021 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956


उपस्थिति : (1) श्री बनवारी लाल शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 25.11.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 03.11.2021 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 92,96,103,106 व 107/3604 में से रकबा क्रमशः 0.50,0.54,1.35,0.19 व 0.06 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम पनवाड मोड पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट्स जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।



  
बतिरिक्त जिला कलेक्टर  
टोंक



का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। नायब तहसीलदार देवली हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



25-11-2021  
(मुरारी लाल शर्मा)  
अति.जिला कलेक्टर, टोक  
देवली